

Annexure - 2

Copy of letter of Intent for grant of M.L.

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 3-25/2018/12/1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/07/2018

मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.
6 कि.मी. सागर रोड,
ढाढरी, छतरपुर,
जिला- छतरपुर, म0प्र0।

विषय:- ग्राम माधीगढ़, जतारा, टीकमगढ़ के वनकक्ष क0-पी-262 के रकबा 19.000 हे0 क्षेत्र पर पायरोफिलाईट/डायस्पोरखनिज का खनिपट्टा मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.।

आपके द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2012 जिला-टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र जतारा वन कक्ष क्रमांक-पी-262 के रकबा 19.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पायरोफिलाईट/डायस्पोर के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु उत्खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु योग्य पाया गया है।

निर्देशानुसार इस संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम-18(2) के तहत संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म0प्र0, भोपाल से अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति 06 माह की अवधि में प्रस्तुत करें। प्रकरण में वन भूमि समाहित है, अतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यवर्तन की कार्यवाही कर वांछित अनुमति प्रस्तुत करें।

उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(राजेश कुमार कौल)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ0 क्र. एफ 3-25/2018/12/1
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

Annexure – 3

Certificate of Incorporation

125-10
THE COMPANIES ACT, 1956

COMPANY LIMITED BY SHARES



MEMORANDUM AND ARTICLES

OF

ASSOCIATION -

OF



**KHAJURAHO MINERALS
PRIVATE LIMITED**



प्रारूप आई० आर०

From I. R.

निगमन का प्रमाण-पत्र Certificate of Incorporation

ता.....का सं.....

No. 10-09285 of 1995

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन नियमित की गई है और कम्पनी परिसीमित है।

I hereby certify that KHAJURAHO MINERALS PRIVATE LIMITED is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the Company is limited by shares.

मेरे हस्ताक्षर से आज तारीख सौलह चैत्र शक् उन्नीस सौ सत्रह को दिया गया।

Given under my hand at GWALIOR this SIXTH day of APRIL One thousand Nine hundred and NINETY FIVE.

Sd/-

(HAR LAL)

कम्पनियों का रजिस्ट्रार
Registrar of Companies,
Madhya Pradesh, Gwalior

Seal

The Registrar of Companies,
Madhya Pradesh,

(COMPANY LIMITED BY SHARES)

Memorandum of Association OF KHAJURAHO MINERALS PRIVATE LIMITED

- I. The name of the company is KHAJURAHO MINERALS PRIVATE LIMITED.
- II. The registered office of the company will be situated in the State of Madhya Pradesh.
- III. The objects for which the company is established are :
(A) THE MAIN OBJECTS OF THE COMPANY TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION ARE :

1. To purchase, take on lease or otherwise acquire any mining rights, mines and lands in India or elsewhere believed to contain metallic, or mineral, saline or chemical substances, Kieselghur, French chalk, China clay, bentonite and other clays, barytes, calcite and such other filler materials, earths or other ingredients including coal, lignites, rock phosphate, brimstone, brine, bauxite, rare earths which may seem suitable or useful for and of the Company's objects and any interest therein and to explore, work, exercise, develop and turn to account the same.
2. To work mines or quarries and to find, win, get work crush, smelt, manufacture or otherwise deal with limestone, chalk, clay, ores, metals, minerals, oils, precious and other stones, or deposits or products, and generally or to carry on the business of mining in all branches.
3. To carry on all or any of the business of prospecting, exploring, opening and working mines, drill and sink shafts or wells and to pump, refine raise, dig and quarry for oil, petroleum, gold, silver, diamonds, precious stones, coal, earth, limestone, iron, aluminium, titanium, vanadium, mica, apatite, chrome, copper, gypsum, lead, manganese, molybdenum, nickel, platinum, uranium, rutile, sulphur, tin, zinc, zircon, bauxite and tungsten and other ores and minerals.

LIARY TO THE (B) OBJECTS INCIDENTAL OR ANCILLIARY TO THE ATTAINMENT OF MAIN OBJECTS OF THE COMPANY ARE :

1. To open account or accounts with any bank or banks and to deposit to withdraw and to pay money by cheques from such account or accounts.

2. Subject to the provisions of Section 58-A of the Companies Act, 1956 and Rules made there under and directives of Reserve Bank of India to borrow or raise money or to receive money or deposits at interest or otherwise in such a manner as the Board of Directors of the Company may think fit and in particular by the issue of Bonds Company or perpetual annuities and as security for any such money, so borrowed raised, or received to mortgage, pledge or charge the whole or any part of the property, assets, right and revenue of the Company, present and future including its uncalled capital by special assignment or otherwise and transfer or convey the same absolutely or in trust and to the Board of Directors of the Company and to purchase, redeem or pay off any such securities. However, the Company will not do any banking business as defined in Banking Regulation Act, 1949.
3. To pay, satisfy or compromise any claims made against the Company which may seem expedient to the Board of Directors of the Company to pay, satisfy or compromise.
4. To appoint any person, firms or body corporate as agents/distributors for the purpose of the Company's business in specified area or otherwise.
5. To refer or agree to refer claims, demands, disputes or any other question, by or against the Company or in which the Company is interested or concerned and whether between the Company and a member or members his or their representatives or between the Company and third parties, to arbitration in India or at any place outside India and to observe and perform and to do all acts, deeds, matter and things, to carry out or enforce the awards, and to institute, defend, compromise withdraw or abandon any legal or other proceeding and claim by or against the Company, by or its officers or otherwise, covering the affairs of the Company subject to the provisions of Section 201 of the Companies Act, 1956.
6. To amalgamate with any other company whose subjects are similar to those of this Company, whether by sale or purchase of the undertaking subject to the liabilities of this or any such other Company as aforesaid with or without winding up, or by sale or a controlling interest of the shares or stock of this or any such other Company as aforesaid or in any other manner.
7. To undertake management, representation, supervision and control of the business of any Company association, firm or persons in general, secretaries or other officers of any corporate body, or for persons carrying on business similar to that of this Company, but the Company shall not act as managing Agents.
8. To establish, and maintain work branches, sub offices, depots, showrooms, and agencies of the Company in India and elsewhere in any part of the world for the purpose of Company's business in specified area or otherwise and to discontinue the same whenever necessary.
9. To procure of the recognition of the Company in any country, state or place.

Signatory Details

CIN / LLPIN U14108MP1995PTC009285
 Company / LLP Name KHAJURAHO MINERALS PVT LTD

List of Signatories

DIN/DPIN/PAN	Full Name	Present Residential Address	Designation	Date of Appointment	Whether DSC Registered	Expiry Date of DSC	Surrendered DIN
01373817	AJAY PAL SINGH PARMAR	10 CIVIL LINE CHATTARPUR 471007 MP IN WARD NO 30	Director	06/04/1995	Yes	19/09/2018	
01390619	ALOK CHATURVEDI	JAWAHAR MARG TORIYA HOUSE CHHATARPUR 471001 MP IN	Managing Director	06/04/1995	Yes	19/09/2018	
02501609	YASHPAL SINGH PARMAR	10 CIVIL LINE CHHATARPUR 471001 MP IN	Director	20/12/2012	Yes	10/11/2020	
02543160	KAILASH PARMAR	10, CIVIL LINE NARSINGHPURWA CHHATARPUR 471001 MP IN WARD NO 30	Director	01/10/2008	No	-	
03180549	NITISH CHATURVEDI	JAWAHAR MARG TORIYA HOUSE CHHATARPUR 471001 MP IN	Director	20/12/2012	Yes	10/11/2020	
06720513	NIKHIL CHATURVEDI	TORIYA HOUSE JAWAHAR ROAD CHHATARPUR 471001 MP IN	Director	03/04/2013	Yes	21/11/2020	

Annexure - 4

Power of Attorney



003
06-07
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

Y 696993

POWER OF ATTORNEY

TO ALL WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, KHAJURAHO MINERALS PVT. LTD. Registered under the companies act 1956 (No. 10-09285 of 1995) which incorporated as tender having its registered Office at 6th K.M. Sagar Road, Dhadari, Chhatarpur (M.P.) (hereinafter called the company) sends Greetings.

WHEREAS under the Articles of Association of the Company the Directors hereof are empowered from time to time by Power of Attorney under the company's seal to appoint any person including one of the directors himself attorney of the Company subject to such authorities, conditions and directions and for such purposes as the direction of the company may think fit.

AND WHEREAS the company is now desirous of appointing Shri Ajay Pal Singh, one of the Director of the company to be the true and lawful attorney for it and in its name and on its behalf to do all the acts and things connected with the management of its affairs.

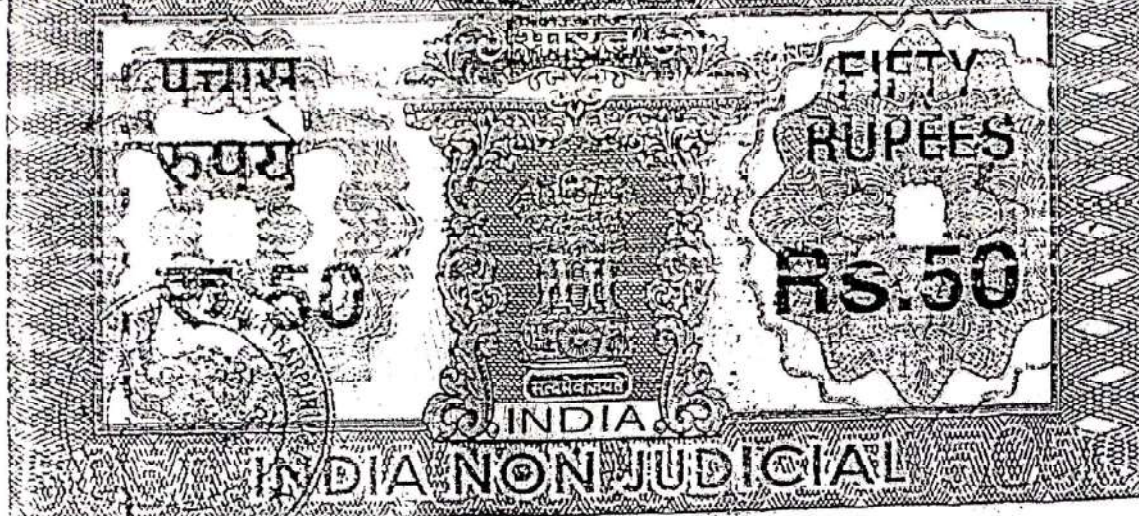
NOW KNOW YE AND THESE PRESENTS WITNESSETH; The company hereby nominates constitutes and appoints Shri Ajay Pal Singh to be the true and lawful Attorneys for at and in its name and on its behalf to make, perform execute and exercise all or any such of several acts, deeds, power, authorities, matters and things hereinafter mentioned, that is to say:

1. To sign and verify plaints, affidavits, written statement, petitions, objections, memos of appeals and applications, of all kinds in respects of Company's existing mines and application for grant of Mining leases or prospecting licenses for grant of certificate of approval and to sign and file statement as required the mines Act and other Mining rules.
2. To represent the company in all respect to defend its stand or otherwise in the matters commenting requirement warranted by the Forest (conservation) Act 1980, whether on state to central level and environmental requirements.
3. To apply for inspection of and to inspect records, registers or files of mining lease or prospecting licenses.
4. To present himself before any officer of state of central Government and also before any court of law and tribunals and verify plaints, affidavits, written statement, petition, objection, memo of appeals and application of all kinds, to sign and file statement as required by the departments of mines to sign agreements with the proper authorities and in this connection to take all steps that may be required and to appoint

6.2.0143

2014

श्री अजय पल सिंह



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

Y 696994

5. To do generally everything request for all or any of the purpose relating to the main business of the company, I.C. Mining, processing, manufacturing and any other works.
6. To enter into make sign, execute, deliver and perform any contract, agreement, deed, license, Mining lease, writing or thing that may in the opinion of the said Attorney be necessary or proper to be entered into, made, signed, executed delivered, acknowledged or performed, in the union of India for and on behalf of the company and present the same for registration before registry or sub-registry Officer in the Union of India and admit execution there of and do all necessary Acts to such connection.
7. And the company hereby agree that all acts deeds, things, lawfully done by the said attorney shall be constructed as well as deeds and things done by the company and the company undertakes to rectify and confirm that all and whatsoever the said attorney shall lawfully do or cause to be done by virtue of powers hereby given.

IN WITNESS WHERE OF THE COMPANY has caused its common seal here into affixed on this 06th February 2014.

Authorised Signature of Power of Attorney holder

AJAY PAL SINGH

For KHAJURAHO MINERALS PVT. LTD.

1. Shri: Ajay Pal Singh, Director
2. Shri: Alok Chaturvedi, Director
3. Smt.: Kailash Parmar, Director
4. Shri: Yash Pal Singh Parmar, Director
5. Shri: Nitish Arjariya, Director
6. Shri: Nikhil Chaturvedi, Director

Witness:

V. K. Shrivastava
S/o. Late. Sh. N. P. Shrivastava
Near Garmen Raj's English
School, Bagaula, Udaipur

K. P. Ramjan
86, Gandhi Road, Gaudhara
Bagaula Road, Chhatrapur (M.P.)

Date: 06.02.2014

8E FORM MB

Jandish Prasad Tiwari
P.O. Chhatrapur
AREA-CHHATRAPUR (M.P.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017-श्रावण 6, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की बासठवीं वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार, दिनांक 17 अगस्त, 2017 को दोपहर 4.00 बजे "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

01. 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का खान और उस पर विचार.
 02. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु सार्वजनिक अंशधारियों की नियुक्ति पर विचार.
 03. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.
- निगम की अंशबही दिनांक 28 जुलाई से 17 अगस्त, 2017 तक (दिनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट :-

- (क) बासठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय, में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 09 अगस्त, 2017 तक पहुँचाना चाहिये.
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 05 अगस्त, 2017 तक पहुँचाना चाहिये.
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेंगी.

14 जुलाई, 2017

"वित्त भवन"

मुम्बई-आगरा मार्ग इन्दौर-452 001

(254-बी.)

संचालक मण्डल के आज्ञानुसार

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting of the shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai-Agra Road,

Indore on Thursday, the 17th August, 2017 at 4.00 pm to transact the following business:-

1. To read and consider the balance sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2017 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2017-18.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 28th July to 17th August, 2017. (both days inclusive).

NOTES:-

(a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 62nd Annual General meeting Should reach the office of the Corporation not later than four clear days i.e. 9th August, 2017.

(b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. 5th August, 2017.

(c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per Copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

14th July, 2017

"Finance House"

Mumbai -Agra Road, Indore-452 001.

(254A-B.)

By order of the Board of Directors

SMITA BHARADWAJ,

Managing Director.

गोदनामा

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आलोक चतुर्वेदी तनय स्व. श्री बाबुराम चतुर्वेदी एवं पर्सवलि श्रीमती ममता चतुर्वेदी पति श्री आलोक चतुर्वेदी, निवासी टौरिया हाऊस छतरपुर मध्यप्रदेश ने नितिश अरजरिया पिता स्व. श्री दिलीप अरजरिया एवं माता श्रीमती अर्चना शर्मा, निवासी रवि भोजनालय के पास, मल्ल रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश को भारतीय गोदनामा निबंधक अधिनियम के अनुसार वप-पंजीयक कार्यालय छतरपुर के कार्यालय में ई-पंजीकरण संख्या MP06432017A4351493 पर दिनांक 24 जून, 2017 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

गोदनामा रजिस्ट्रीकृत पश्चात् नितिश अरजरिया को, नितिश अरजरिया चतुर्वेदी पुत्र श्री आलोक चतुर्वेदी एवं माता श्रीमती ममता चतुर्वेदी, निवासी टौरिया हाऊस छतरपुर मध्यप्रदेश के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा, सभी संबंधित शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में आलोक चतुर्वेदी एवं श्रीमती ममता चतुर्वेदी के पुत्र के रूप में नितिश चतुर्वेदी का नाम अंकित किया जावेगा।

गोदधारक-

आलोक चतुर्वेदी-ममता चतुर्वेदी,

निवासी-टौरिया हाऊस, छतरपुर,

बिला छतरपुर (म. प्र.).

(260-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम प्रमोद कुमार था, अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर प्रमोद कुमार देशमुख कर लिया है, आगे से मुझे मेरे नये नाम प्रमोद कुमार देशमुख से जाना जाये।

पुराना नाम :

(प्रमोद कुमार)

(PRAMOD KUMAR)

(256-बी.)

नया नाम :

(प्रमोद कुमार देशमुख)

(PRAMOD KUMAR DESHMUKH)

108, गिरधर परिसर इनिश कोलार रोड,

घोपाल (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कमल कुमार था, जिसमें अब मैंने अपना उपनाम लगाकर कमल वलेचा कर लिया है, अब से मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे नए नाम कमल वलेचा से लिखा-पड़ा जावे।

पुराना नाम :

(कमल कुमार)

(KAMAL KUMAR)

(257-बी.)

नया नाम :

(कमल वलेचा)

(KAMAL VALECHA)

409, वीरशाल्या कॉलोनी सिटी,

गोरखपुर धान के पास,

जबलपुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भेंट नाम कु. वीणा गर्दे पिता श्री स्व. रामकृष्ण महादेव गर्दे का विवाह अनिरुद्ध किरकिरे पिता श्री श्रीकांत किरकिरे, निवासी 41-ए, वैशाली नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश से हुआ। विवाह उपरान्त मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती अंतरा किरकिरे पति अनिरुद्ध किरकिरे हो गया है। अतः मुझे मेरे परिवर्तित नाम श्रीमती अंतरा किरकिरे पति अनिरुद्ध किरकिरे, निवासी 41-ए, वैशाली नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश से जाना-पहचाना जाए, अतः उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नामों की मैं एक ही महिला हूँ।

पुराना नाम :

(कु. वीणा गर्दे)

पिता स्व. श्री रामकृष्ण महादेव गर्दे,

(247-बी.)

नया नाम :

(अंतरा किरकिरे)

पति अनिरुद्ध किरकिरे

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शैलेन्द्र साकेत (Shailendra Saket S/o Rampal Saket) था जो कि बदलकर (Shailendra Azad S/o Rampal Saket) हो गया है। अतः अब से मुझे मेरे नए नाम शैलेन्द्र आजाद (Shailendra Azad S/o Rampal Saket) जाना, पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(शैलेन्द्र साकेत)

S/o Rampal Saket.

(248-बी.)

नया नाम :

(शैलेन्द्र आजाद),

S/o Rampal Saket.

निवासी-देवमऊ बारा टोला,

पोस्ट-गोंजम, तहसील रामपुर-बाघेलान,

जिला संतना मध्यप्रदेश

नाम परिवर्तन

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार सोनम मनकैले पुत्री श्री दयाराम मनकैले पति हरिधर, निवासी अशोक कॉलोनी, ग्वालियर मध्यप्रदेश है, कक्षा 05, कक्षा 08, कक्षा 10 एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरी पक्षकार के पिता का नाम चतुर्भुज मनकैले अंकित हो गया है तथा मेरी पक्षकार का जन्म प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड व बी. एस.सी व आधार कार्ड में पिता का नाम दयाराम मनकैले अंकित है तथा कक्षा 05, कक्षा 08, कक्षा 10 एवं कक्षा 12वीं की अंकसूची में मेरी पक्षकार के पिता का नाम चतुर्भुज मनकैले अंकित है जोकि गलत है मेरी पक्षकार के दस्तावेजों के आधार पर सोनम मनकैले पुत्री श्री दयाराम मनकैले माना जावे तथा मेरी पक्षकार इसी नाम से जानी, पहचानी व पुकारो जाती है। उक्त नाम पूर्णतः सत्य व सही हैं मेरी पक्षकार को पिता के नाम में संशोधन कराने हेतु गजट में प्रकाशन कराना।

(234-बी.)

भवदीय,

विनोद श्रीवास्तव,

(एडवोकेट).

सेवा नगर,

ग्वालियर (म. प्र.).

जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत पट्टमावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. बरागडौली पंजीयन क्र., दिनांक को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री नरेंद्र सिंह. सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/17/304., दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा कामदगिरि प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., चित्रकूट जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत कामदगिरि प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., चित्रकूट पंजीयन क्र. 185, दिनांक 14 मार्च, 1995 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि/17/310, दिनांक 02 मार्च, 2017 द्वारा ग्रामोदय हाथ. बुनकर सहकारी समिति मर्या., चित्रकूट जिसे आगे केवल संस्था संबोधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। संस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य हैं।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत ग्रामोदय हाथ. बुनकर सहकारी समिति मर्या., चित्रकूट, पंजीयन क्र. 812, दिनांक 06 सितम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री एल. डी. सोनकर, सह. निरी. को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त आस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(1858-T)

नरेश सिंह,
उप-रजिस्ट्रार

Annexure - 5

P.L. Report

PROSPECTING REPORT OF MACHIGARH PYROPHYLLITE & DIASPORE DEPOSIT

Area - 199.00 Ha.

Forest Block - Machigarh

Forest Compartment No. - 262

Forest Range - Jatara

Forest Division - Tikamgarh

State - Madhya Pradesh

For the Mineral - Pyrophyllite & Diaspore

Submitted to

Submitted under Rule 16 OF M.C.R. 1960

To The State Government of Madhya Pradesh

& to IBM Under Rule 8 of MCDR 1988

Applicant -

M/s. Khajuraho Minerals Pvt. Ltd.

Registered office - 6th km Sagar Road, Dhadari

Address for Correspondence - Post Box No. - 24

P.O. & Distt-Chhatarpur (M.P.) Pin-471001

Phone - 07682 - 248751, 241589

e-mail - khajurahomineral.sales@gmail.com

Prepared by :

Balram Singh Associates Pvt. Ltd.

Regd. No.- RQP/JBP/105/2003/B, Valid upto - 14.09.2013

Chopra Colony, P.O.- Maihar

Distt.- Satna (M.P.) Pin : 485771

Phone No. : (07674) 232473, Mob - 919425185701

e-mail: bsapl_myr@rediffmail.com

CHAPTER NO.	SUBJECT	PAGE NO.
1.	General	3
2.	Location and Accessibility	5
3.	Geology and Exploration	6
4.	Mineral Resource	11
	Annexure :-	
1.	PL Order	
2.	PL Deed	
3.	Forest Clearance	
4.	Photo ID of Owner	
5.	Memorandum and Articles of Association	
6.	Power of Attorney	
7.	RQP Certificate	
8.	Chemical Analysis Report	

LIST OF PLAN AND SECTION		
1.	LEASE MAP	Plate - 1
2.	LOCATION PLAN	Plate - 2
3.	SURFACE PLAN	Plate - 3
4.	SURFACE GEOLOGICAL PLAN & SECTION OF PROSPECTED AREA	Plate - 4

PROSPECTING REPORT

INTRODUCTORY NOTE: -

The area under reference has been sanctioned under prospecting license for 2 years period by the State Government vide its order no.- F2-135/2011/12/1 Bhopal Dated- 03.03.2012 (Annexure -1). The PL deed was executed on 16.04.2012. (Annexure -2) for 2 years PL period over an area of 199.0 hecets for mineral Pyrophyllite and Diaspore. The PL area is forest land and approval Under Section-2 of Forest Conservation Act 1980 for drilling 3 bore holes of dia 4 inches has also been accorded by CCF (Land Management), Satpura Bhawan, Bhopal vide letter No. - F-1/603/2011/10-11/1321 dated 10.05.2011 for 1 year period from date of execution of Prospecting license i.e. 15.4.2012. (Annexure -3).

The applicant gave three bore holes within the prospective area towards north based on the outcrops, exposures and old pits within the PL area. The applicant encouraged after prospecting operations and delineating two mineralised zone towards north is applying for Mining lease for 30 years period. This Prospecting Report as such has been prepared over the said area under Rule-16 of M.C.R. 1960 & to IBM under Rule 8 of MCDR 1988.

CHAPTER - I

1.0 GENERAL :-

- (a) Name of the applicant : **M/s. Khajuraho Minerals Pvt. Ltd.**
 Registered office - 6th km Sagar Road, Dhadari
 Address for Correspondence - Post Box No. - 24
 P.O. & Distt-Chhatarpur (M.P.) Pin-471001
 Phone- (07682)248751, 241589, Fax - 243883
 e-mail - khajurahomineral.sales@gmail.com
 (Photo ID of applicant is appended as Annexure - 4.)
- (b) Status of the applicant : Private limited Company.(Memorandum and Articles of Association along with Certificate of Incorporation appended as Annexure 5)
- (c) Mineral/s which are occurring in the area and which applicant intends to mine : Pyrophyllite and Diaspore

- (d) Period for which the mining lease is: 30 years period
required to be granted
- (e) Name of RQP preparing Prospecting Report: **Balram Singh Associates Pvt. Ltd.**
Address : Chopra Colony, P.O. Maihar
Distt.- Satna (M.P.) Pin: 485771
Phone No. : (07674) 232473
e-mail : bsapl_myr@rediffmail.com
Regd. No. : RQP/JBP/105/2003/B
Date of grant : 15.09.2003
Valid up to : 14.09.2013
- (f) Name of the prospecting agency : The prospecting has been done
by the applicant company under the supervision
of its own mining engineer and geologist.
- (g) Reference No. & Date of grant of P.L. from the State Government :-
➤ Vide letter No. F2-135/2011/12/1 Bhopal Dated- 03.03.2012
➤ PL period - Two years period w.e.f.16.04.2012 to 15.04.2014
➤ Date of execution -16.04.2012

CHAPTER – II

2.0 LOCATION AND ACCESSIBILITY :-

(a) Details of the area with location map :

District & State	Forest Block & Village	Forest Range, Tehsil & Police Station	Forest Division	Forest Compartment Number	Area
Tikamgarh (M.P.)	Machigarh	Jatara	Tikamgarh	262	199.00 ha
		Total			199.00 ha

Lease area in hecets. : 199.0 HECTS.

Whether the area is recorded to be in forest : Yes, The applied area is forest land.

Existence of public road / Railway Line, If any nearby and approximate distance:-

The applied area can be approached from Tikamgarh. The prospect area is 25 kms towards Jatara and then 4 kms upto Gumanganj. The nearest railway station is Tikamgarh at a distance of about 25 km. All the basic infrastructure is available at Tikamgarh.

Toposheet No. : 54 L/13
 Latitude - $24^{\circ}54'30.0''$ to $24^{\circ}56'13.0''$ North
 Longitude - $78^{\circ}56'00.0''$ to $78^{\circ}57'32.6''$ East
 Altitude - 386 m A.M.S.L.

The lease area has been marked on Survey of India topographical map on a scale of 1:50000 and forest map showing area boundaries and existing and proposed access routes and a general location map on a scale of 1cm = 2.5 Km.

- (a) Briefly describe the topography and general local / mine geology of the mineral deposit including drainage pattern :-

Topography :-

The lease area is undulating having gentle slope towards north. The highest level is 386m RL towards north west while the lowest elevation is 280m in east.

Drainage :-

The main drainage of the area is through seasonal water courses situated in north side of the prospect area which discharges into Jamnara Nalla situated in east.

REGIONAL GEOLOGY SETUP :-

The applied area is a part of Bundelkhand basement complex and the age of this rock has been determined to be 2500 million years (M. S. Krishnan, Page-118). The Bundelkhand mass is semicircular in outline and covers part of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The outstanding feature of commercial importance in the geology of Bundelkhand area is occurrence of the minerals Diaspore and Pyrophyllite in an intimate relationship. These minerals occur at the base of the palaeo formation which display mineral assemblages resembling to that of green schist facies metamorphism.

On the basis of the study of different rock types exposed in the area, following sequence of formation, which are Post-Dharwar in age has been observed :-

Dolerite - Basic Dyke

Quartz reef

Granite (Fine grained)

Granite (coarse grained)

In general the Diáspore-Pyrophyllite deposit occur in direct contact with the (1) granite and gneissose (2) within phyllites (3) or encased within a host rock of Quartzites and Quartz-Pyrophyllite.

The weathered granites are invariably associated with these deposit. They are considered to be the source of the mineralisation of Diaspore and Pyrophyllite minerals. The weathered zone which contains clay along the inter granular margins after deformation resembles to mylonite. The common mode of occurrence of these minerals reflect coexistence of different mineral phases, heterogeneity of primary mineral phases and effect of the physical and chemical conditions during mineralization are as follows :-

- (a) Fine grained Pyrophyllite
- (b) Flaky Pyrophyllite
- (c) Disseminated Diaspore in Pyrophyllite
- (d) Nodular coarse crystalline Diaspore in Pyrophyllite
- (e) Veins and irregular bodies of Diaspore in Pyrophyllite
- (f) Diaspore occurring in bedded form zoning

The ore bodies may simply show a zonation from a central core of early Quartz with pure Pyrophyllite strikers parallel and oblique to the shear surface to an outer flank of relatively impure quartz-iron rich Pyrophyllite or distinctly zoned deposit with a core of Diaspore in Pyrophyllite with an outer well of sericite-muscovite kaolin. Such type of zoning is common in lens formed within the later milky crystalline Quartz which form the outermost rim of the deposit.

Granules of finely crystalline varieties of Diaspore are usually purer when compared with the coarse bladed types. All the samples are in fact admixtures of Diaspore and Pyrophyllite minerals. The finely crystalline varieties contain less interstitial Pyrophyllite as compared to the coarsely crystalline varieties.

Local Geology :-

The Pyrophyllite and associated diaspore of the lease area belongs to Palar formation of Bundelkhand group having Pre-Cambrian age. The Pyrophyllite/Diaspore deposit of the lease area is encased in quartz/Phyllite. The geological sequence in the lease area is given below :-

Over Burden	-	2m to 6m
Pyrophyllite/Diaspore ore body	-	upto 28m

The strike of the ore body is north-east and south-west and dip is 70° and 80° due northwest.

The Pyrophyllite ore body with the associated Diaspore is encircled by weathered granite at the immediate contact which forms the outer walls. The mineral Pyrophyllite and Diaspore occur in an intimate relationship. Pyrophyllite is dull pink, yellowish and green in colour. It has a typical greasy feel with and off white streak. It is massive, soapy, soft and compact in nature. Occasionally foliation is distinct. Embedded within Pyrophyllite are the nodules of Diaspore mineral which is usually medium to fine grained to bladed. Rosettas type of Diaspore in which blades are arranged in a radiating manner are not very common. The size of the nodules and chunks of Diaspore tend to increase in size along the depth. The wall rock which is comprised of quartzite rocks softens nearer to the contact. The recovery of Pyrophyllite is about 40% of the R.O.M. as most of it is highly ferruginous and or siliceous. Diaspore is found in the tune of about 10% of the ROM.

Bulk density of Pyrophyllite = 3 and that of Diaspore is 3.5.

The deposit in the area is massive with regular shape and grade-homogeneous to inhomogeneous. In view of above the Pyrophyllite deposit of the applied area may be placed under Category I as per UNFC i.e. Stratiform, Stratabound and Tabular Deposits of regular Habit.

Controls of mineralisation :-

(i) Genetic control :- The Pyrophyllite/Diaspore mineralisation represents the last phases of the hydrothermal actively connected with granite magma.

(ii) Lithological control :- The Pyrophyllite zone occur within the fine grained granites.

(iii) Structural control :- There are two sets of common fractures and joints, one running NNE-SSW direction and the other set in a NW-SE direction.

(b) Chemical constituents:-

The Pyrophyllite/Diaspore of the lease area has following chemical constituents.

	<i>Pyrophyllite</i>	<i>Diaspore</i>
Loss of ignition (LiO) :	5.38 %	8.65 %
Silica :	57.96 %	28.94 %
Alumina :	32.20 %	58.78 %
Iron oxide :	1.40 %	1.40 %
Titanium Oxide :	0.94 %	0.55 %
Undetermined :	0.70 %	0.71 %
Calcium Oxide :	1.26 %	0.71 %

(c) Topographic plan :-

The topographic (surface) plan on scale of 1:5000 has been appended as plate-3. The PL area is forest land and permission for drilling of only three bore holes has been given by the forest department. There are three old pits located in the prospect area as well which has been marked on the surface plan. Since only three bore holes were permitted, two potential zones were delineated based on the surface exposures/out crop and mineralisation established in pit. Accordingly the bore holes were given.

Old Pit -1	-	30m x 29.3m x 30.0m
Old Pit -2	-	12.5m x 11.0m x 8.5m
Old Pit -3	-	75m x 30.0m x 18.0m

Bore Hole No.	Depth	Collar Level	Location	OB (m)	Mineral (m)
BH-1	30m	319.10	N 2759286, E 293805	-	0.0 - 30.0 - Pyrophyllite /Diaspore
BH-2	30m	310.15	N 2758917, E 293645	0-0.5	0.5 - 30.0 - Pyrophyllite/ Diaspore
BH-3	30m	378.75	N 2758292, E 293305	0-2.0	2.0 - 30.0 Pyrophyllite /Diaspore

The Pyrophyllite/Diaspore is exposed and and out cropping through out the PL area and in pits.

(d) Geological sections :-

Geological section prepared on prescribed scale of horizontal 1:2000 and vertical 1:2000 has been prepared and appended as plate-4.

The evidence already existing in the vicinity towards south in old and expired ML area of M/s. Eastern Minerals has been taken into account for the occurrence of mineral in the applied area. The details of exploration already carried out including the evidence of mineral existence have been shown on Geological plan plate-4.

Chapter – IV

4.0 MINERAL RESOURCE

(i) Method of estimation of mineral reserves:-

The total mineral resources have been calculated by surface area method. In this method the surface mineralised area is multiplied by the average thickness of the ore body to give the volume. This in turn has been multiplied by the incidence and bulk density to find out the tonnage.

Categorisation of total mineral resources and mineral reserve :-

Based on the restriction imposed by the forest department for drilling only three bore holes, two potential zones delineated has been shown in plate 3 & 4. It is proposed to apply for ML in these blocks only as the prospecting was restricted to these blocks. The total mineral resources have been put under 332 category as per the UNF classification. The applied area is explored by way of 3 bore holes and exposure at surface and in old pits. Hence the resource has been put under G2 level.

1) Geological Axis :-

G-2 - (i) Geological survey: Mapping on a scale of 1:2000.

(ii) Surface geological plan showing surface geological features and extent of deposit prepared and enclosed.

2. Geochemical survey : Sampling from bore hole.

3. Geophysical survey : Extent of mineralisation surveyed laterally.

4. Technological: Drilling, exploratory mine, sampling carried out. The mineralisation has been proved by way of drilling. The spacing of the bore holes is 200m to 400m. The surface and sub surface exposures also co-relate the mineralised zones. 100m to 200m influence of bore hole and pits has been taken for G2 level.

Mineral Resources :-

Indicated Mineral Resource (332)

Calculation of mineral resource :-

Surface mineralised area, Northern Block - 1	=	90,000 M ²
Average thickness of ore body	=	30m
Recovery factor, Pyrophyllite	=	45 %
Diaspore	=	15%
Bulk Density, Pyrophyllite	=	3.0
Diaspore	=	3.5
Mineral Resource = Surface mineralised area x average thickness of ore body x Incidence x B.D.		
Pyrophyllite	=	90,000 sqm x 30m x 0.45 x 3.0 = 36,45,000 t.
Diaspore	=	90,000 sqm x 30m x 0.15 x 3.5 = 14,17,500 t.

Surface mineralised area, Southern Block - 1	=	60,000 M ²
Average thickness of ore body	=	18m
Recovery factor, Pyrophyllite	=	40 %
Diaspore	=	10%
Bulk Density, Pyrophyllite	=	3.0
Diaspore	=	3.5
Mineral Resource = Surface mineralised area x average thickness of ore body x Incidence x B.D.		
Pyrophyllite	=	60,000 sqm x 18m x 0.40 x 3.0 = 12,96,000 t.
Diaspore	=	60,000 sqm x 18m x 0.10 x 3.5 = 3,70,000 t.

Hence total Mineral resource =

Pyrophyllite	=	36,45,000 t. + 12,96,000 t. = 49,41,000 t.
Diaspore	=	14,17,500 t. + 3,70,000 t. = 17,87,500 t.

MINERAL RESERVE AS PER UNFC CLASSIFICATION :-

United Nations Frame-work Classification (UNFC)	UNFC code	Pyrophyllite (t.)	Diaspore (t.)	Grade
Probable Mineral Reserve	121	-	-	The Pyrophyllite of the prospect area is of mainly handicraft, Detergent, Soap, Pesticide & ceramic grade. The Diaspore is of Refractory grade.
Probable Mineral Reserve	122	-	-	
Pre-Feasibility Mineral Resource	221	-	-	
Pre-Feasibility Mineral Resource	222	-	-	
Measured Mineral Resource	331	-	-	
Indicated Mineral Resource	332	4941000	1787500	
Inferred Mineral Resource	333	-	-	
Reconnaissance Mineral Resource	334	-	-	

Conclusion:-

The proposed area is promising one and has potential and resources for Pyrophyllite & Diaspore. The applicant is financially sound and proposes to give employment to backwards, schedule caste and schedule tribes of the local area. It is also proposed to work for the community development. Hence it is recommended that the State Govt. may please grant the mining lease in the favour of the applicant.

For : Balram Singh Associates Pvt. Ltd.

Regd. No. : RQP/JBP/105/2003/B

Place - Maihar

Date - 10.12.2012

Sanjay K. Singh

(Director)

Key person

Ravi Singh

(Mining Engineer)

KHAJURAHO MINERALS PVT. LTD.

DIRECTOR

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
आदेश

मोपाल, दिनांक

क्रमांक 2-135/2011/12/1 यह कि जिला टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र बेदपुर/जतारा/माचीगढ़ के वन कक्ष क्र. 262 से संबंधित पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनि रियायत प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र तालिका क्र. 1 पर अंकित अनुसार पाये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका क्र.-1

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
1.	श्री मयंक श्रीवास्तव पुत्र श्री पी.सी. श्रीवास्तव, एम.पी.ई. बी. ऑफिस, सिविल लाईंस, टीकमगढ़	17.12.93	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
2.	श्री मनोहरलाल लोधी पुत्र श्री शिवलाल, ग्राम व पोस्ट घजरई जिला टीकमगढ़	22.12.93	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
3.	श्री आदर्श कुमार जैन, बस स्टैन्ड के पास टीकमगढ़	04.01.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
4.	मे. रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., 5, सिविल लाईन्स सागर	05.01.94	262	10.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
5.	मे. वेतवा मिनरल्स, 50/4, जड़िया मार्ग टीकमगढ़	22.01.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
6.	श्री अमर श्रीवास्तव द्वारा मे. शिवम मिनरल्स, नजर बाग, बरिया के सामने, टीकमगढ़	24.01.94	262	4.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
7.	श्री आजाद मोहम्मद पुत्र श्री नजीर अहमद, लक्ष्मी टॉकीज रोड	24.01.94	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्षा क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत / खनिज
	टीकमगढ़				
8.	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मदनपुर जिला ललितपुर	28.01.94	262	10.000	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
9.	श्री आदर्श कुमार जैन पुत्र श्री उत्तमचंद्र जैन, बस स्टेन्ड टीकमगढ़	31.01.94	262	5.000	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
10.	श्रीमती शोभा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	05.02.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
11.	श्री मोहन सिंह परमार, रामगढ़ टीकमगढ़	08.02.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
12.	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री राव माधोसिंह, किले का मैदान जिला टीकमगढ़	14.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
13.	श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, ललितपुर	21.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
14.	श्री आदित्य नारायण पाराशर ग्राम व पोस्ट सोजना ललितपुर	22.02.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
15.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	22.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
16.	श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री यादवेन्द्र सिंह, ताला दरवाजा, टीकमगढ़	25.02.94	262	10.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
17.	मे. कृष्णा मिनरल्स, जय स्तंभ के पास, बस स्टेण्ड टीकमगढ़	08.03.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
18.	श्री किशन सिंह यादव, तहसील के पास टीकमगढ़	08.03.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
19.	श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, लक्ष्मी टॉकीज के पास,	22.03.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्षा क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत / खनिज
	टीकमगढ़				
20.	मे. अनुभव मिनरल्स, सिविल लाईन्स टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
21.	श्री कैलाश कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
22.	श्री जय कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
23.	श्री अमरजीत सिंह सिविल लाईन्स, टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
24.	श्री प्रमोद मसीह, 12, पंचशील नगर रायपुर	25.04.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
25.	डॉ. के.के. सक्सैना, सिविल लाईन, टीकमगढ़	25.04.94	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
26.	श्री चन्द्रप्रताप तिवारी पुत्र श्री तुलसीदास तिवारी, बडापुरा, कुरयान जिला टीकमगढ़	23.12.94	262	4.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
27.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वनपुरा खुर्द, टीकमगढ़	19.03.94	262	5.000	पी.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
28.	श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर	27.03.95	262	300.00A	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
29.	श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर	15.05.95	262	120.000	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
30.	श्री हर्ष कुमार सक्सैना, जय निवास, सिकिर्ट हाउस रोड टीकमगढ़	30.10.95	262	5.000	पी.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
31.	मे. शिल्पी स्टोन प्रा.लि., जय निवास, सिविल	30.10.95	262	2.500	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
	लाईन्स रोड टीकमगढ़				
32.	श्री रवीन्द्र कुमार राय पुत्र श्री छक्कीलाल राय, कुरैचा नाका मोहल्ला, मउरानीपुर जिला झांसी	06.11.95	262	5.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
33.	श्री राजीव नुना, लक्ष्मी टॉकीज के सामने टीकमगढ़	14.03.97	262	5.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
34.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम वनपुरा जिला टीकमगढ़	19.03.97	262	5.000	पी.एल./ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
35.	श्री रविशंकर सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह, महेन्द बाग टीकमगढ़	19.03.97	262	5.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
36.	श्री मनीष शर्मा, लिघोरा, टीकमगढ़	23.12.98	262	10.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
37.	दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड भोपाल	28.07.03	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
38.	दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड भोपाल	28.07.03	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
39.	दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड भोपाल	28.07.03	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
40.	मे. रिलायंस मिनरल्स प्रो. राजेन्द्र कुमार जैन, बाटा बैंक रोड, टीकमगढ़	19.08.03	262	2.000	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
41.	मे. श्री ज्ञान माईनिंग एण्ड मिनरल्स, नूतन	23.01.04	262	4.500	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत / खनिज
	बिहार कॉलोनी, टीकमगढ़				
42.	मे. श्री रामराजा मिनरल्स, पार्टनर श्री जगदीश शरण नायक, जेल रोड़ टीकमगढ़, जतारा, टीकमगढ़	20.02.04	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
43.	मे. मारुति मिनरल्स पार्टनर श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित, दीक्षित, मोहल्ला जिला टीकमगढ़	20.02.04	262	12.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
44.	मे. रिलायंस मिनरल्स, बाटा बैंक रोड़, टीकमगढ़	29.03.04	262	4.500	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
45.	मे. श्री राम मिनल्स, सुनौनी, तह. व जिला टीकमगढ़	21.09.04	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
46.	मे. शिव मिनरल्स, बड़कुल, सिविल लाईन टीकमगढ़	08.08.05	262	4.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
47.	मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., पो. बाक्स नं. 24, छतरपुर	06.01.10	262	230.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
48.	मे. चम्बल माईंस एण्ड मिनरल्स, बुडार तह. सोहागपुर जिला शहडोल	04.03.09	262	5.000	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
49.	मे. चम्बल माईंस एण्ड मिनरल्स, बुडार तह. सोहागपुर जिला शहडोल	04.03.09	262	5.000	एम.एल.
50.	मे. कुण्डेश्वर मिनरल्स, प्रो. श्रीमती सुषमा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	30.03.10	262	10.000	पी.एल.

उपरोक्त आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य वन कक्ष क्रमांकों से संबंधित आवेदन पत्र भी पाये गये जिनका विवरण तालिका क्र. 2 में अंकित अनुसार निम्नलिखित है :-

तालिका क्र.-2

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत / खनिज
1.	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़	21.09.94	277/1	3.383	पी.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
			707	8.915	
			Total	12.298	
2.	श्रीमती तूषा चक्रवर्ती, एम.आई. जी. सेक्ट-6, 3. शंकर नगर रायपुर	02.05.95	P-64	5.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
3.	श्री देवकीनंदन अरोरा पुत्र स्व. श्री बी.आर. अरोरा, कटरा बजार टीकमगढ़	03.05.95	P-64	4.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
4.	श्रीमती गुलाब रानी पत्नी श्री देवी सिंह, 49/36, साउथ टी.टी. नगर भोपाल	07.10.95	43, 45	5.000	एम.एल. / डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट
5.	मे. वसुन्धरा स्टोनो एक्सप्लोरर्स प्रा.लि., 4, मनीषपुरी इंदौर	02.11.95	43	5.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
6.	मे. वसुन्धरा स्टोनो एक्सप्लोरर्स प्रा.लि., 4, मनीषपुरी इंदौर	02.11.95	45	5.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
7.	श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिर्किट हाउस रोड टीकमगढ़	29.11.95	44	5.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
8.	श्रीमती सुषमा सिंह, ताल बजार टीकमगढ़	01.12.95	44	5.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
9.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बुन्देला, ताल बजार	01.12.95	44	5.000	एम.एल. / पायरोफिलाईट

क्र.	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक	वन कक्ष क्र.	रकबा हे. में	आवेदित खनि रियायत/ खनिज
	टीकमगढ़				एवं डायस्पोर
10.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री प्रताप सिंह यादव, रायपुर जिला टीकमगढ़	27.12.95	45	10.000	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
11.	श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी, राजमहल रोड़ टीकमगढ़	02.01.96	55	6.896	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
12.	श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी, राजमहल रोड़ टीकमगढ़	12.01.96	55	6.896	एम.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर
13.	श्री हीरालाल लुहारिया पुत्र श्री तुलाराम लुहारिया, दिगौड़ा, जिला टीकमगढ़	04.03.96	P-178	6.014	पी.एल./ पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर

उपरोक्त तालिका क्र. 1 से संबंधित आवेदन पत्रों में से अधिकतम क्षेत्र 230.000 हे. पर आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे बाद में संशोधित करते हुये 208.000 हे. क्षेत्र कर दिया गया था। मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. के आवेदन पत्र के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील जतारा द्वारा वन कक्ष क्र. 262 को वन भूमि दर्शाते हुये प्रतिवेदन दिया गया है, ग्राम पंचायत बैदपुर तहसील जतारा द्वारा आवेदित क्षेत्र पर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ में अपने प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र वन कक्ष क्र. 262 वनखण्ड माचीगढ़ का भाग है, पूर्णतः वन सीमा के अंतर्गत है। यदि आवेदित संस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने का लेख किया गया है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में खनि निरीक्षक, टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र समस्त प्रतिबंधित दूरियों से बाहर है, सार्वजनिक स्थल नहीं है। आबादी से लगभग 2 कि.मी. दूर है, धार्मिक स्थल, मरघट आदि नहीं है। अतः पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की है।

आवेदित क्षेत्र के संबंध में मानचित्रकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र 208.000 हे. में से 198.000 हे. अन्य आवेदन पत्रों द्वारा आच्छादित है तथा शेष 10.000 हे. क्षेत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध होता है।

उल्लेखनीय है कि तालिका क. 1 के सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क. 1322, भोपाल दिनांक 10.05.11 के माध्यम से सर्वेक्षण/पूर्वक्षेत्र कार्य के संबंध में सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जबकि यह अनुमति अन्य आवेदकों को प्राप्त नहीं है।

प्रकरण में एकाधिक आवेदक होने के कारण विभाग द्वारा समक्ष में सुनवाई कर निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव दिया गया। तदनुसार दिनांक 29.11.11 की तिथि नियत की गई। जिसे अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित कर क्रमशः 19.12.11 एवं 20.12.11 किया गया। सुनवाई तिथि को नस्ती में संधारित उपस्थित पत्रक के अनुसार आवेदकगण अथवा उनके प्रतिनिधि/विद्वान अधिवक्ता तथा खनि शाखा जिला कार्यालय टीकमगढ़ से श्री मनीष पालेवार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुये।

सुनवाई के पश्चात् आवेदकवार स्थिति निम्नानुसार पाई गई :-

सरल क. 1 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मयंक श्रीवास्तव द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 2 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मनोहरलाल लोधी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 3 एवं 9 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री आदर्श कुमार जैन, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति

एवं खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 4 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक कंपनी को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक कंपनी का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 5 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. वेतवा मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक फर्म को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक फर्म का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 6 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री अमर श्रीवास्तव, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदक आवेदित क्षेत्र पर प्रथम आवेदक है जिसे खनन कार्य का विगत 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आवेदक को खनि रियायत स्वीकृत होने पर खनन के उद्योग की स्थापना करते हुये स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। अतः आवेदक के नाम पर आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 7 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री आजाद मोहम्मद, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 8 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 10 पर अंकित अनुसार आवेदिका श्रीमती शोभा सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदिका प्रथम आवेदक है। आवेदिका को अभी तक कोई भी खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदिका द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में फेक्ट्री लगाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका को खदान

स्वीकृत होने पर उक्त इकाई प्रारंभ कर दी जायेगी। अतः आवेदिका के पक्ष में खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 11 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मोहन सिंह परमार, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 12 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री प्रदीप सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 13 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री धर्मेन्द्र सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 14 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री आदित्य नारायण पाराशर, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 15 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदक प्रथम आवेदक है। आवेदक द्वारा आई.बी.एम. टेक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शाखा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदक को अभी तक कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में उद्योग लगाने हेतु पंजीयन करा लिया गया है। चूंकि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। अतः वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शाते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 16 पर अंकित अनुसार आवेदिका श्रीमती सुषमा सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदिका प्रथम आवेदक है। आवेदिका द्वारा आई.बी.एम. टेक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शाखा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदिका को अभी तक कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदिका द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में उद्योग लगाने हेतु पंजीयन करा लिया गया है। चूंकि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। अतः वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शाते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 17 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. कृष्णा मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक फर्म को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक फर्म का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 18 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री किशन सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु

आवेदित खनि रियायत आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 24 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री प्रमोद मसीह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 25 पर अंकित अनुसार आवेदक डॉ. के.के. सक्सेना, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 26 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक का प्रकरण भारत सरकार खान मंत्रालय ने खनिपट्टा हेतु विचाराधीन है। जिले म.प्र. शासन, वन विभाग भोपाल द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को अनुशंसा सहित प्रेषित कर दिया गया है। इन तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक द्वारा खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 27 एवं 34 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र सिंह चौहान, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 19 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 20 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. अनुभव मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा तर्क देते हुये आवेदित खनि रियायत आवेदक फर्म के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 21 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री कैलाश कोठारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा तर्क देते हुये आवेदित खनि रियायत आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 22 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री जय कोठारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा तर्क देते हुये आवेदित खनि रियायत आवेदक के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

सरल क. 23 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री अमरजीत सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा तर्क देते हुये

सरल क. 28 एवं 29 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा कमशः 300.00 एकड़ एवं 120.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 27 एवं 34 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री महेन्द्र सिंह चौहान, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 30 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री हर्ष कुमार सक्सैना, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 31 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. शिल्पी स्टोन प्रा.लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 2.500

हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक कंपनी को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक कंपनी का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक कंपनी द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक कंपनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक कंपनी का खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 32 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री रवीन्द्र कुमार राय, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 33 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री राजीव नुना, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा

11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 35 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री रविशंकर सिंह, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 36 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री मनीष शर्मा, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 37,38 एवं 39 पर अंकित अनुसार आवेदक दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि. द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.500 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक तीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कंपनी की गतिविधियों, वित्तीय स्थिति, तकनीकी अमले, माईनिंग मशीनरी आदि का उल्लेख करते हुये आवेदित खनिपट्टा आवेदक कंपनी के पक्ष में स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया परंतु आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक कंपनी द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक कंपनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक कंपनी के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु तीनों आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 40 एवं 44 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. रिलायंस मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा

कमरा: 2.000 हे. एवं 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक फर्म को कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं है। आवेदक फर्म द्वारा मिनरल ट्रेडिंग का कार्य किय जा रहा है। वर्तमान में किराये पर पल्लेराईजर लेण्ड अन्य खदान मालिकों से पायरोफिलाईट कय किया जाता है। अतः आवेदक फर्म के पक्ष में खनि रियायत स्वीकृत की जाये। उल्लेखनीय है कि आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक फर्म द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक फर्म को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक फर्म के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

सरल क. 41 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. ज्ञान माईनिंग एण्ड मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4. 500 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 42 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. श्रीरामराजा मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदक फर्म द्वारा आवेदित खनिज पर आधारित उद्योग की स्थापनरा की जावेगी। इसके लिये फर्म को बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बैंक से अनुरोध किया है तथा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यदि फर्म को खनिपट्टा प्राप्त होता है तो फर्म को बैंक द्वारा जो भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, प्रदान करने हेतु तत्पर है।
2. आवेदक फर्म द्वारा खनिज की उपलब्धता मिलने पर आवश्यकतानुसार तकनीकी अमले की नियुक्ति की जायेगी।

3. आवेदक फर्म को विषयांकित पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने पर किये जाने वाले पूर्वक्षण कार्य पर लगभग 10 लाख रु. व्यय होने की संभावना है जिसे व्यय करने में आवेदक फर्म स्वयं सक्षम है। क्योंकि फर्म के भागीदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा इनके पास काफी कृषि भूमि है। आवेदक फर्म के भागीदारों का वर्तमान व्यवसाय कृषि है।

4. आवेदक फर्म को पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने पर पूर्वक्षण कार्य एवं बाद में खनिपट्टा स्वीकृत होने पर खनन कार्य में अनिवार्य रूप से लगभग 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा। फर्म के द्वारा किये जाने वाले पूर्वक्षण कार्य एवं खनन कार्य में लगभग 200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी।

6. आवेदक फर्म को खनिपट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् खदान में कार्यरत व्यक्तियों तथा स्थानीय व्यक्तियों की शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के लिये विभिन्न योजनाएँ फर्म द्वारा अपने लाभांश से संचालित की जायेगी। इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक फर्म के पक्ष में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 43 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. मारुति मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 12.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा तर्क देते हुये विषयांकित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

सरल क. 45 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. श्रीराम मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 46 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. शिव मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु

साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक के खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 230.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदक कंपनी के चारों संचालकों में से संचालक श्री अजयपाल सिंह एवं श्री आलोक चतुर्वेदी को खनिजों के व्यापार एवं पूर्वक्षेत्र/खनन कार्य का विगत 26 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आवेदक कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। कंपनी की कुल नेटवर्थ 1,57,73,013 रुपये है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी को 10 करोड़ रु. की राशि हेतु साख प्रमाण पत्र दिया गया है तथा कंपनी के प्रस्तावित उद्योग के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है।
2. कंपनी के पास अनुभवी माईनिंग इंजीनियर, सर्वेयर, मेट, फोरमेन आदि पूर्व से ही कार्यरत हैं। जिनकी सूची संलग्न है। इसके साथ ही कंपनी को मे. बलराम सिंह एसोसियेट्स प्रा.लि. मैहर द्वारा पूर्वक्षेत्र कार्य में तकनीकी परामर्श दिया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी।
3. कंपनी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा विषयांकित वन कक्ष क. पर सर्वक्षेत्र/पूर्वक्षेत्र कार्य हेतु सशर्त सहमति पत्र प्रदान किया गया है। कंपनी के द्वारा छतरपुर जिले में ही आवेदित खनिजों के प्रसंस्करण हेतु माइक्रोनाइज्ड पल्वेराइजर लगाया गया है जिसके प्रमाण स्वरूप विद्युत देयक की प्रतिलिपि एवं जिला उद्योग केन्द्र में पंजीयन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।
4. प्रस्तावित पूर्वक्षेत्र कार्य एवं खनन कार्य पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है जिस हेतु कंपनी स्वयं सक्षम है। आवेदक कंपनी खजुराहो मिनरल समूह की कंपनी है। समूह को पूर्व से ही अन्य क्षेत्र में खनिपट्टा स्वीकृत है। अतः समूह के पास खनन हेतु आवश्यक मशीनरी, वाहन एवं टूल्स उपलब्ध हैं। कंपनी को विषयांकित खनि रियायत स्वीकृत होने पर पूर्वक्षेत्र एवं खनन कार्य में आधुनिकतम, तकनीक का उपयोग किया जायेगा। कंपनी द्वारा खनन कार्य एवं आवेदित खनिज पर आधारित मूल्य संवर्धन इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियोजित किया जायेगा। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(1) एवं 47(1) तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अन्य आवेदक मे. श्री रामराजा मिनरल्स द्वारा वन कक्ष क. 262 के आवेदित क्षेत्र 5.000 हे. कंपनी की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र पर खनि रियायत प्राप्त

करने में कंपनी की कोई रुचि नहीं है। यह क्षेत्र किसी अन्य आवेदक को दिया जाता है तो कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है अर्थात् कंपनी के रुचि वन कक्ष क. 262 के मात्र 203.000 हे. क्षेत्र पर ही है। इस हेतु वांछित क्षेत्र का मानचित्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

सरल क. 48 एवं 49 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. चम्बल माईस एण्ड मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 5.000 हे. क्षेत्र पर पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर खनिज के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनिपट्टा प्राप्ति हेतु पृथक-पृथक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। अतः आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया परंतु कोई भी ऐसे तथ्य ज्ञात नहीं हो सके जिनके आधार पर आवेदक फर्म को अन्य आवेदकों की तुलना में अधिनियम की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दी जा सके। अतः आवेदक फर्म का आवेदन पत्र आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदक फर्म द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत यह पाया कि आवेदक फर्म द्वारा आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा अन्यथा उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य स्वरूप अन्य कोई अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवेदक फर्म को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदक फर्म का खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

सरल क. 50 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. कुण्डेश्वर मिनरल्स, द्वारा जिला टीकमगढ़ के वन खण्ड बेदपुर के वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 10.000 हे. क्षेत्र पर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई के समय आवेदक फर्म के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत विवरण से ज्ञात हुआ कि :-

1. आवेदित क्षेत्र पर आवेदक फर्म प्रथम आवेदक है। आवेदक द्वारा आई.बी.एम. टेक्नीकल कंसलटेंसी सर्विस शाखा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। आवेदक को अभी तक कोई खनिपट्टा स्वीकृत नहीं है। आवेदक द्वारा जिला उद्योग केन्द्र टीकमगढ़ में उद्योग लगाने हेतु पंजीयन करा लिया गया है। चूंकि आवेदित क्षेत्र वन भूमि है। अतः वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिबद्धता दर्शाते हुये आवेदित खनि रियायत स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

समस्त आवेदकों के आवेदन पत्रों, संलग्न समस्त प्रासंगिक अभिलेखों, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का श्रवण, अवलोकन एवं परीक्षण करने के पश्चात् यह पाया कि तालिका क. 1 के सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. द्वारा समस्त आवेदकों की तुलना में मूलतः सर्वाधिक 230.000 हे. क्षेत्र पर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे संशोधित करते हुये 208.000 हे. किया गया तथा सुनवाई के समय पुनः संशोधित करते हुये 203.000 हे. किया गया। प्रकरण में पूर्ववर्ती अन्य आवेदकों द्वारा वन

कक्ष क. 262 के छोटे-छोटे क्षेत्र पर खनि रियायत प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जबकि सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. द्वारा काफी बृहद क्षेत्र पर खनि रियायत चाही गई है। इनके द्वारा आवेदित खनिज पर आधारित उद्योग (गाइकोनाइज्ड पल्चेराईजर रायंत्र) का पूर्व से ही सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। कंपनी के संचालकगण को खनिजों के व्यापार, सर्वेक्षण/पूर्वक्षण कार्य आदि का विगत 26 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। कंपनी में पूर्व से ही खनन संबंधी मशीनरी उपलब्ध है एवं विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञ पूर्व से ही नियोजित हैं। इन्हें अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क. 1322, भोपाल दिनांक 10.05.11 के माध्यम से सर्वेक्षण/पूर्वक्षण कार्य के संबंध में सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जबकि यह अनुमति अन्य आवेदकों को प्राप्त नहीं है। वन कक्ष क. 262 के अधिकांश क्षेत्र पर ये एकल आवेदक हैं। अतः अधिकांश क्षेत्र पर इन्हें अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन वरीयता प्राप्त होती है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तालिका क. 1 के सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11(5) के अधीन भी वरीयता दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्राप्त होता है। विषयांकित वन कक्ष क. 262 के छोटे-छोटे क्षेत्र विभिन्न आवेदकों को खनि रियायत पर स्वीकृत किये जाने से क्षेत्र का विभाजन होने के कारण इस क्षेत्र पर सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन किया जाना संभव नहीं होगा। जबकि आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को खनि रियायत हेतु उपलब्ध क्षेत्र संलग्न एवं संबद्ध एक ही खण्ड में होने से उनके द्वारा इस क्षेत्र पर सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं शून्य अपव्यय खनन दिया जाना संभव होगा जो कि भारत सरकार खान मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। अतः सरल क. 47 पर अंकित अनुसार आवेदक मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. को पश्चात्वर्ती आवेदक होने के पश्चात् भी उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वन कक्ष क. 262 के कुल रकबा 203.000 हे. क्षेत्र (मानचित्र में अंकित अनुसार) पर अधिनियम की धारा 11(5) के अधीन डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट खनिज के लिये 2 वर्ष की समयावधि हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा एक अन्य आवेदक मेसर्स रामराजा मिनरल्स के पक्ष में वन कक्ष क्रमांक 262 का 5.000 हे० क्षेत्र पर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति का निर्णय लिया गया है जिसके आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे मेसर्स खजुराहो मिनरल्स के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	आवेदक का नाम	स्वीकृत वन कक्ष क.	स्वीकृत रकबा हे. में	खनि रियायत/ खनिज
1.	मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.	262	199.00	पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/ डायस्पोर एवं पायरोफिलाईट

उपरोक्तानुसार उपयुक्त पाये गये आवेदक के पक्ष में क्षेत्र स्वीकृत किये जाने से सरल क. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 45, 48 एवं 50 पर अंकित अनुसार आवेदकों को स्वीकृति हेतु कोई क्षेत्र उपलब्ध न होने तथा कोई भी अन्य ऐसे तथ्य ज्ञात न होने जिनके आधार पर उन्हें खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वरीयता दिये जाने हेतु आधार प्राप्त हो सके। अतः इनके आवेदन पत्र एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। साथ ही सरल क. 8, 9, 29, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46 एवं 49 पर अंकित अनुसार आवेदक द्वारा सीधे ही खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है परंतु उनके द्वारा आवेदित क्षेत्र पर आवेदित खनिज की प्रमाणिक उपलब्धता प्रमाणित करने हेतु कोई भी पूर्वक्षण प्रतिवेदन अथवा साक्ष्य स्वरूप कोई भी अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 5(2)(अ) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होती है। अतः उनके खनिपट्टा आवेदन पत्र एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

साथ ही सरल क. 26 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री चंद्रप्रताप तिवारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका प्रकरण मध्यप्रदेश शासन वनविभाग द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है जो भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित है। इस आवेदन पत्र के संबंध में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात सरल क. 26 पर अंकित अनुसार आवेदक श्री चंद्रप्रताप तिवारी के आवेदन पत्र पर निर्णय अलग से लिया जायेगा।

अतः राज्य शासन द्वारा पूर्णविचारोपरांत आवेदक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि.के पक्ष में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र. एफ 1/603 /2011/10-11/13 22 दिनांक 10.05.2011 में निहित निम्नानुसार शर्तों विवरण अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है

1. यह अनुमति खनिज साधन विभाग की पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति जारी होने के उपरांत ही प्रभावशील होगी।
2. पूर्वक्षण/सर्वेक्षण कार्य की अवधि खनिज विभाग द्वारा अनुबंध जारी किये जाने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिये वैध होगी।
3. पूर्वक्षण/सर्वेक्षण के कार्य के दौरान 208.00 हे० वनभूमि में 4 इंच व्यास के केवल 03(तीन) बोर होल किये जावेंगे।
4. पूर्वक्षण /सर्वेक्षण कार्य के दौरान न तो कोई वृक्ष काटे/छांटे जावेगे ओर न ही किसी वृक्ष को कोई क्षति पहुंचाई जायेगी। बोर होल के अलावा अन्य कोई उत्खनन कार्य अथवा वनळाममि पर कैम्प लगाना या कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया जाएगा।
5. पूर्वक्षण/सर्वेक्षण कार्य के दौरान कार्य में लगे आवेदक के श्रमिकों द्वारा यदि वनों को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो इसका जो भी मुआवजा वनमंडलाधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आंकलित किया जावेगा वह आवेदक संस्थान को भुगतान करना होगा।
6. आवेदक को वन क्षेत्र में भेजी जाने वाली ड्रिल मशीन/रिंग का पूर्ण विवरण एवं उसके साथ भेजे जाने वाले व्यक्तियों की सूची व.म.अ को उपलब्ध कराना होगा वन मार्गों के उपयोग की

अनुमति निर्धारित शुल्क जमा कर व.म.अ. से प्राप्त करना होगी।
ड्रिल मशीन/रिंग के परिवहन हेतु कोई नये मार्गों का निर्माण नहीं किया जावेगा।

7. क्षेत्र में प्रवेश हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी एवं पूर्वक्षण /सर्वक्षण कार्य के दौरान वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित वन अधिकारी को साथ में रखा जायेगा। बोर होल का स्थान संलग्न किये गये वनअधिकारी की सहमति से चयन किया जावेगा।
8. खनिज उपलब्ध होने पर आवेदक संस्थान को वनभूमि लीज पर देने की राज्य शासन की वचन बद्धता नहीं होगी।
9. पूर्वक्षण /सर्वक्षण का कार्य समाप्त होने पर बोर होल का वास्तविक स्थान वन मानचित्र (1:15000 स्केल पर) अंकित कर सर्वक्षण के परिणाम सहित प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा जावेगा।
10. किये गये बोर होल को संस्था द्वारा कार्य उपरांत उनके व्यय पर तुरंत बुद किया जावेगा।
11. वनभूमि पर कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व आवेदक संस्थान से उपरोक्त शर्तें मान्य करने संबंधी लिखित वचन-पत्र कार्य प्रारम्भ का प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी टीकमगढ़ द्वारा प्राप्त किया जावेगा।
12. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी एवं वन मंडलाधिकारी टीकमगढ़ को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. कार्य की प्रगति की समीक्षा किसी भी समय राज्य शासन द्वारा की जा सकेगी।

अन्य शर्तें/विवरण

- 1- आवेदक का नाम मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., पो. बाक्स नं. 24, छतरपुर
- 2- स्वीकृत क्षेत्र का विवरण जिला टीकमगढ़ के वन परिक्षेत्र कक्ष क्र. 262 स्वीकृत रकबा 199.000 हे0
- 3- खनिज का नाम डायस्पोर एवं पायरोफिलाइट
- 4- स्वीकृत अवधि वन विभाग की शर्त अनुसार वर्ष 02 (दो वर्ष)
- 5- रायल्टी डेडरेंट आदि नियमों में प्रावधानित दर से
- 6- थियोडोलाइट सर्वे आदि यदि आवश्यक हो तो
- 7- अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के ऊपर खनिज राजस्व बकाया तो नहीं है।
- 8- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.6.2006 के अपेक्षा अनुसार कार्यवाही की जावे।

यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो नियमानुसार जमानत राशि आदि जमा करायी जाकर तीन माह के अंदर अनुबंध का निष्पादन कराया जावे एवं निष्पादन अनुबंध की एक प्रति इस विभाग को शीघ्र भेजी जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.पी.यादव)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 15/3/12

पृ.क्रमांक एफ 2-135/2011/12/1

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म0प्र0शासन वन विभाग भोपाल, म0प्र0
2. कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल की ओर उनके क्रमांक 1/603/2011/10-11/13/22 दिनांक 10.05.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़ म0प्र0
5. डायरेक्टर, जनरल आफ माईन्स सेफ्टी धनवाद(झारखण्ड)
6. कन्ट्रोलर जनरल इण्डियन ब्यूरो आफ माईन्स नागपुर(महाराष्ट्र)
7. क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर (म0प्र0)
8. श्री मयंक श्रीवास्तव पुत्र श्री पी.सी. श्रीवास्तव, एम.पी.ई.बी. ऑफिस, सिविल लाईंस, टीकमगढ़
9. श्री मनोहरलाल लोधी पुत्र श्री शिवलाल, ग्राम व पोस्ट घजरई जिला टीकमगढ़
10. श्री आदर्श कुमार जैन, बस स्टेन्ड के पास टीकमगढ़
11. मे. रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., 5, सिविल लाईन सागर
12. मे. वेतवा मिनरल्स, 50/4, जड़िया मार्ग टीकमगढ़
13. श्री अमर श्रीवास्तव द्वारा मे. शिवम मिनरल्स, नजर बाग, बरिया के सामने, टीकमगढ़
14. श्री आजाद मोहम्मद पुत्र श्री नजीर अहमद, लक्ष्मी टॉकीज रोड टीकमगढ़
15. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, मदनपुर जिला ललितपुर
16. श्री आदर्श कुमार जैन पुत्र श्री उत्तमचंद्र जैन, बस स्टेन्ड टीकमगढ़
17. श्रीमती शोभा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़
18. श्री मोहन सिंह परमार, रामगढ़ टीकमगढ़
19. श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री राव माधोसिंह, किले का मैदान जिला टीकमगढ़
20. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह, ललितपुर
21. श्री आदित्य नारायण पाराशर ग्राम व पोस्ट सोजना ललितपुर
22. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़

23. श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी श्री यादवेन्द्र सिंह, ताला दरवाजा, टीकमगढ़
24. मे. कृष्णा मिनरल्स, जय स्तंभ के पास, बस स्टेण्ड टीकमगढ़
25. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, लक्ष्मी टॉकीज के पास, टीकमगढ़
26. मे. अनुभव मिनरल्स, सिविल लाईन्स टीकमगढ़
27. श्री कैलाश कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़
28. श्री जय कोठारी, सिविल लाईन्स टीकमगढ़
29. श्री अमरजीत सिंह सिविल लाईन्स, टीकमगढ़
30. श्री प्रमोद मसीह, 12, पंचशील नगर रायपुर
31. डॉ. के.के. सक्सेना, सिविल लाईन, टीकमगढ़
32. श्री चन्द्रप्रताप तिवारी पुत्र श्री तुलसीदास तिवारी, बड़ापुरा, कुरयान जिला टीकमगढ़
33. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वनपुरा खुर्द, टीकमगढ़
34. श्री दशरथ प्रसाद तिवारी, बड़ा मल्हारा जिला छतरपुर
35. श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिर्किट हाउस रोड़ टीकमगढ़
36. मे. शिल्पी स्टोन प्रा.लि., जय निवास, सिविल लाईन्स रोड़ टीकमगढ़
37. श्री रवीन्द्र कुमार राय पुत्र श्री छक्कीलाल राय, कुरैचा नाका मोहल्ला, मउरानीपुर जिला झांसी
38. श्री राजीव नुना, लक्ष्मी टॉकीज के सामने टीकमगढ़
39. श्री रविशंकर सिंह पुत्र श्री रमाशंकर सिंह, महेन्द्र बाग टीकमगढ़
40. श्री मनीष शर्मा, लिधोरा, टीकमगढ़
41. दि. मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., पर्यावास भवन जेल रोड़ भोपाल
42. मे. रिलायंस मिनरल्स प्रो. राजेन्द्र कुमार जैन, बाटा बैंक रोड़, टीकमगढ़
43. मे. श्री ज्ञान माईनिंग एण्ड मिनरल्स, नूतन बिहार कॉलोनी, टीकमगढ़
44. मे. श्री रामराजा मिनरल्स, पार्टनर श्री जगदीश शरण नायक, जेल रोड़ टीकमगढ़, जतारा, टीकमगढ़
45. मे. मारुति मिनरल्स पार्टनर श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित, दीक्षित, मोहल्ला जिला टीकमगढ़
46. मे. श्री राम मिनल्स, सुनौनी, तह. व जिला टीकमगढ़
47. मे. शिव मिनरल्स, बड़कुल, सिविल लाईन टीकमगढ़
48. मे. खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि., पो. बाक्स नं. 24, छतरपुर
49. मे. चम्बल माईंस एण्ड मिनरल्स, बुडार तह. सोहागपुर जिला शहडोल
50. मे. कुण्डेश्वर मिनरल्स, प्रो. श्रीमती सुषमा सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़
51. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह, ताल दरवाजा, टीकमगढ़
52. श्रीमती तूषा चकवर्ती, एम.आई.जी. सेक्ट-6, 3, शंकर नगर रायपुर
53. श्री देवकीनंदन अरोरा पुत्र स्व. श्री बी.आर. अरोरा, कटंरा बजार टीकमगढ़
54. श्रीमती गुलाब रानी पत्नी श्री देवी सिंह, 49/36, साउथ टी.टी. नगर भोपाल
55. मे. वसुन्धरा स्टोनो एक्सप्लोरर्स प्रा.लि., 4, मनीषपुरी इंदौर

56. श्री हर्ष कुमार सक्सेना, जय निवास, सिकिर्ट हाउस रोड टीकमगढ़
57. श्रीमती सुषमा सिंह, ताल बजार टीकमगढ़
58. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह बुन्देला, ताल बजार टीकमगढ़
59. श्री राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री प्रताप सिंह यादव, रायपुर जिला
टीकमगढ़
60. श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बाबूलाल सोनी, राजमहल रोड
टीकमगढ़
61. श्री हीरालाल लुहारिया पुत्र श्री तुलाराम लुहारिया, दिगौड़ा, जिला
टीकमगढ़
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
62. गार्ड फाइल।

अपर सचिव

म0प्र0शासन, खनिज साधन विभाग